

11.05.18

वकील डा. प्रीसांत या स्वयं अप्रीसांत कोई उपस्थित
नहीं है। अपी. को बार बार आवाजे दिखाई गई।
अपी. की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
अतः अपील अदम हाजरी व अदम पेशवा
में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल
सुमार ही कर बाद तकमील जाबता हारिबल
दफ्तर है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर